कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक 369 /दो—16—1/2023 नर्मदापुरम, दिनांक 07.04.2026

श्री अभिनव कुमार जैन, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम का दिनांक 07.04.2026 से 08.04.2026 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित, स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् न्यायिक अधिकारी के अर्जित अवकाश लेखे में 207 दिवस का स्वत्व शेष है।

1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।

2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी)(दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

3— अवकाश अवधि में वेतनभत्ते उसी दर से देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के तत्काल पूर्व मिलते थे।

4— आवेदक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम के पद पर पदस्थ रहते।

Sharma 07/4/2026

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ. क. 1494 /दो—16—1/2023 नर्मदापुरम, दिनांक 07.04.2026 08

यथाआदेश, प्रतिलिपिः—

01— श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02— श्री अभिनव कुमार जैन, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03— जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

07/4/26

वास्ते— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नर्मदापुरम,(म.प्र.)